पत्रांक-स्था0/वि0 09-16/2011.....313...../

बिहार सरकार
गृह विभाग

प्रेषक,

महत्वपूर्ण

कौशलेन्द्र पाठक
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

बिहार राज्य संवर्ग के भारतीय पुलिस सेवा के सभी पदाधिकारी।

पटना, दिनांक:-...12../..01../2015

विषय:- **वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए चल/अचल सम्पति विवरणी विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि गत वर्ष की भॉति इस वर्ष भी वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए चल-अचल सम्पति एवं दायित्वों की विवरणी गृह विभाग को समर्पित करना अनिवार्य है। सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-345 दिनांक-07.01.2015 के आलोक में भारतीय पुलिस सेवा के सभी पदाधिकारी अपनी सम्पति विवरणी विहित प्रपत्र में गृह विभाग को समर्पित करेंगे।

2) विहित प्रपत्र वही होगा जो गत वर्ष व्यवहृत हुआ है और यह सामान्य प्रशासन विभाग के बेबसाईट www.gad.bih.nic.in पर उपलब्ध है। इसे डाउनलोड कर व्यवहार में लाया जा सकता है।

3) अखिल भारतीय सेवाओं के लिए संबंधित आचार नियमावली के तहत दी जाने वाली संपत्ति विवरणियों के अतिरिक्त यह संपत्ति विवरणी देय होगी।

विवरणी समर्पित करने के लिए विशेष रूप से ध्यान देना है कि:-

क) सभी पदाधिकारी का उक्त विवरणी कम्प्यूटर से टंकित प्रति हीं स्वीकार होगा।
ख) पेपर साईज ए-4 (A4) एवं पेपर के एक ही साईड प्रिन्ट किया गया प्रति ही स्वीकार होगा ताकि इसे स्कैन करने में सुविधा हो।
ग) सम्पत्ति विवरणी के प्रत्येक पृष्ट पर संबंधित पदाधिकारी का हस्ताक्षर अनिवार्य है।

4) सभी पदाधिकारियों की सम्पति विवरणी को दिनांक-31.03.2015 तक विभागीय बेबसाईट (www.home.bih.nic.in) के माध्यम से सार्वजनिक किया जाएगा।

5) माह फरवरी 2015 के वेतन की निकासी करते समय यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित पदाधिकारी के द्वारा चल एवं अचल सम्पत्ति तथा दायित्वों की विवरणी विहित प्रपत्र में अपने-अपने निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं इसकी एक प्रति गृह विभाग को समर्पित कर दिया गया है। इसके पश्चात् हीं संबंधित कर्मी के वेतन की निकासी की जाएगी।

उपर्युक्त के आलोक में अनुरोध है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए अपने चल-अचल सम्पत्ति तथा दायित्वों की विवरणी विहित प्रपत्र में दिनांक-20.02.2015 तक अपने-अपने निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं इसकी एक प्रति कौशलेन्द्र पाठक, अपर सचिव, गृह विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा करें ताकि इसे विभागीय बेबसाईट पर ससमय सार्वजनिक किया जा सके।

विश्वासभाजन,

ह0/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक.................. पटना,दिनांक-...............

प्रतिलिपिः- पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से इस संबंध में भा0पु0से0 के सभी पदाधिकारियों को आवश्यक निदेश देने की कृपा की जाए।

ह0/-
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक....313......... पटना,दिनांक-..12-01-2015

प्रतिलिपिः- श्री श्याम मोहन दूबे, आई०टी० प्रबंधक, गृह विभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/1/2015

सरकार के अपर सचिव

स्पीड पोस्ट

e-mail:- पत्र संख्याः 1/प्रो0(च0अ0)–1001/2012–सा0प्र0– 345 /

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

कन्हैया लाल साह,
सरकार के अवर सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना–15, दिनांकः 7 जनवरी,2015

विषयः– चल एवं अचल सम्पति तथा दायित्वों की विवरणी समर्पित करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि गत वर्षो की भाँति इस वर्ष भी अखिल भारतीय सेवा के सभी पदाधिकारियों तथा राज्य सरकार एवं राज्य सरकार के अधीन सभी उपक्रमों (यथा बोर्ड, निगम, सोसाइटी, पर्षद इत्यादि) के समूह 'क' 'ख' एवं 'ग' के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों से चल एवं अचल संपत्ति तथा दायित्वों की विवरणी प्राप्त कर उन्हें सार्वजनिक किया जाना है ।

2. गत वर्ष में चल एवं अचल सम्पत्ति तथा दायित्वों की विवरणी समर्पित करने हेतु लागू विहित प्रपत्र में ही चल एवं अचल सम्पत्ति तथा दायित्वों की विवरणी समर्पित किया जाना है । यह प्रपत्र सामान्य प्रशासन विभाग के वेबसाइट www.gad.bih.nic.in पर उपलब्ध है ।

3. अखिल भारतीय सेवाओं के लिए संबंधित आचार नियमावली के तहत दी जाने वाली संपत्ति विवरणियों के अतिरिक्त यह संपत्ति विवरणी देय होगी ।

4. भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा एवं भारतीय वन सेवा के पदाधिकारी अपनी संपत्ति विवरणी विहित प्रपत्र में 28 फरवरी, 2015 तक क्रमशः सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग, पर्यावरण एवं वन विभाग को सौंपना सुनिश्चित करेंगे ।

5. राज्य सरकार एवं राज्य सरकार के अधीन सभी उपक्रमों (यथा बोर्ड, निगम, सोसाइटी, पर्षद इत्यादि) में कार्यरत कर्मी अपनी सम्पत्ति विवरणी विहित प्रपत्र में 28 फरवरी, 2015 तक अपने–अपने निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को सौंपना सुनिश्चित करेंगे ।

6. सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों से प्राप्त चल एवं अचल सम्पत्ति तथा दायित्वों की विवरणी को 31 मार्च, 2015 तक विभागीय बेवसाईटों के माध्यम से सार्वजनिक किया जाएगा ।

7. सभी प्रधान सचिव एवं सचिव अपने विभाग के नियंत्रणाधीन सभी लोक उपक्रमों (यथा बोर्ड, निगम, सोसाइटी, पर्षद इत्यादि) के प्रधानों एवं सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को निर्देशित कर दें कि उनके द्वारा माह फरवरी, 2015 के वेतन की निकासी करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि संबंधित कर्मी द्वारा चल एवं अचल संपत्ति तथा दायित्वों की विवरणी विहित प्रपत्र में समर्पित कर दिया गया है। इसके पश्चात् ही संबंधित कर्मी के वेतन की निकासी की जाय।

8. सभी जिला पदाधिकारियों से अनुरोध है कि जिलों में अवस्थित सभी विभागों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों एवं राज्य सरकार के सभी लोक उपक्रमों (यथा बोर्ड, निगम, सोसाईटी, पर्षद इत्यादि) के स्थानीय प्रधानों को भी उपर्युक्त कंडिका–6 के अनुरूप कार्रवाई हेतु सूचित कर दें।

9. सभी अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं कर्मियों को भी इस निर्देश से अवगत कराने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

(ह०) 07/01/2015

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः–1/प्रो0(च0अ0)–1001/2012–सा0प्र0–345/पटना–15, दिनांकः7 जनवरी,2015

प्रतिलिपिः– केन्द्रीय/अन्तर्राज्यीय प्रतिनियुक्ति पर बिहार संवर्ग के सभी भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी/राज्य में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारी/ केन्द्रीय सिविल सेवा के सभी पदाधिकारी /स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली /राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सभी लोक उपक्रम (बोर्ड,निगम , सोसाइटी पर्षद इत्यादि) के प्रधान /अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, बिहार, पटना /सभी कोषागार पदाधिकारियों/आई टी0 मैनेजर सामान्य प्रशासन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(ह०) 07/01/2015

सरकार के अवर सचिव